



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062026-273828
CG-DL-E-25062026-273828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 415]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

फा.स 6(1)/95- नालसा.—केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नियम, 2000 के नियम 3 व उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियम, 1996 के विनियम 4 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3 अ, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या 76 दिनांकित 04.02.2026 की क्रम संख्या 8 में उल्लेखित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य को नामित करता है:-

8. श्रीमति अर्चना पाठक दवे - सदस्य
भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, और
वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्च न्यायालय

संजीव पाण्डेय, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./184/2026-27]

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, 23rd June, 2026

F. No. 6(1)/95-NALSA – In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) read with Rule 10 of the National Legal Services Authority Rules, 1995 and Rule 3 of the Supreme Court Legal Services Committee Rules, 2000, and Regulation 4 of the Supreme Court Legal Services Committee Regulations, 1996, the Central Authority hereby nominates the member of Supreme Court Legal Services Committee mentioned at Serial Number 8 of the Notification published in the Gazette of India vide No. 76 dated 04.02.2026:-

8. Ms. Archana Pathak Dave - Member
Additional Solicitor General of India, and
Senior Advocate
Supreme Court of India

SANJIV PANDEY, Member Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./184/2026-27]